

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 5407
प्रार्थी बनाम

दिनांक - 06.09.24

1 आत्म साखला पुत्र
खेताराम साखला (नाई)
निवासी लंगेरा, आटी
तहसील व जिला बाड़मेर

अप्रार्थीगण

1 जगदीशचंद पुत्र केसरीमल जाति ओसवाल 2 दला पुत्र माना
जाति खाशी 3 श्यामसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत 4 सुमन
कवर पत्नि भगवानसिंह जाति राजपुरोहित 5 हिन्दुसिंह पुत्र
हाकमसिंह जाति राजपूत 6 अशोक कुमार पुत्र पदमाराम 7 छगनी
देवी पदमाराम 8 भूरायाम 9 राणाराम पिसरान पदमाराम जाति नाई
10 अने कवर पत्नि रामू 11 उगम कवर पत्नि मालसिंह 12 उदा
पुत्र दुर्गा 13 ओमप्रकाश पुत्र किशना 14 कवराजसिंह पुत्र
अनोपसिंह 15 किशनसिंह पुत्र नेनसिंह 16 खुगानसिंह पुत्र
रामसिंह 17 खुगालसिंह पुत्र रामसिंह 18 खुगालसिंह पुत्र
जवारसिंह 19 गोविन्दसिंह पुत्र पदमसिंह 20 जयसिंह पुत्र
मालसिंह 21 जोगराजसिंह पुत्र रामू 22 तुलसीदेवी पुत्र रामसिंह
23 तारसिंह पुत्र रुमसिंह 24 दरिया देवी पत्नि मगसिंह 25
दीपसिंह पुत्र पदमसिंह 26 धीरसिंह पुत्र रामसिंह 27 प्रभूसिंह पुत्र
जसवन्तसिंह 28 पारवती पुत्र कस्तुरा 29 पारससिंह पुत्र
अनोपसिंह 30 वायूसिंह पुत्र मालसिंह 31 भूरसिंह पुत्र अनोपसिंह
32 भवरसिंह पुत्र वागसिंह 33 भवरसिंह पुत्र किशना 34 मिखसिंह
पुत्र आम्बा 35 मथरी देवी पत्नि अनोपसिंह 36 मांगुसिंह पुत्र
बलवन्तसिंह 37 माडू देवी पत्नि बलवन्तसिंह 38 मोतिसिंह पुत्र
रामसिंह 39 मोहन पुत्र जवारसिंह 40 रुखमो पुत्र कस्तुरा 41 रेखा
देवी पत्नि जसवंतसिंह 42 रामसिंह पुत्र पदमसिंह 43 लामू देवी
पत्नि नेनसिंह 44 वेरिसालसिंह पुत्र कस्तुरा 45 हरचन्द पुत्र हीरा
47 हिन्दुसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपुरोहित 48 लिछमणाराम
पुत्र दयाराम जाति नाई निवासीयान लंगेरा तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 368/2024

दिनांक- 04/09/24

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या
596/124 रकबा 0.9551 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण
को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है।
जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5408-11

दिनांक- 06.09.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी आत्म साखला पुत्र खेताराम जाति नाई निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जगदीशचंद पुत्र केसरीमल वगैराह निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर